

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(7070)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/पार्ट-2/03019/2020

दिनांक 23/7/2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में स्वयंपाटी/पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	2090	श्री राहुल कुमार चंदेल	कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन विभाग, रामगंज मण्डी, कोटा	Post Graduate Diploma In Cyber Laws (PGDCL)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
2	2646	श्री रोहित वैष्णव	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति-बालेसर, जोधपुर	B.Lis	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
3	2902	श्रीमती रजनी शर्मा	कार्यालय निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	MCA 1 st Year	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
4	3146	श्री राम सिंह गुर्जर	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, चित्तौड़गढ़	MCA 2 nd Year (Lateral Entry)	Jaipur National University, Jaipur
5	3413	श्री राजवीर सिंह	कार्यालय राजस्व तहसिल, डुंगरगढ़, बीकानेर	MCA 3 rd Year (Lateral Entry)	Jaipur National University, Jaipur
6	4401	श्री रामकिशोर मीणा	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय-जयपुर	MCA 2 nd Year	Jaipur National University, Jaipur
7	New batch 2018	श्री ऋषिकेश मीना	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजसमद	PGDCA	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
8	New batch 2018	श्री राहुल नकवाल	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, पंचायत समिति-बनेरा, भीलवाड़ा	MCA 2 nd Year (Lateral Entry)	Jaipur National University, Jaipur

उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ(आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

- कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- अध्ययन स्वीकृती/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृती प्राप्त करें।

Sd/-
(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी(यूआईडी) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन(अराजपत्रित)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष..... ।
2. संबंधित कर्मचारी..... ।
3. निजी/रक्षित पत्रावली ।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

Gtm
22/07/2020
प्रशासनिक अधिकारी(संस्थापन)